

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्र. एफ 8-1/2024/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर, 2024

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- शासकीय सेवकों की 30 जून अथवा 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्ति के पश्चात आगामी तिथि पर वेतनवृद्धि की स्वीकृति ।

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 15 मार्च, 2024 द्वारा न्यायालयीन निर्णयों के आधार पर 30 जून अथवा 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त हुये शासकीय सेवकों को 01 जुलाई अथवा 01 जनवरी की स्थिति में उनकी पात्रता के अनुसार काल्पनिक वेतनवृद्धि स्वीकृत की जाकर पेंशन के निर्धारण / पुनरीक्षण हेतु स्वीकृति आदेश जारी करने के संबंध में प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया गया है।

2/ न्यायालयों द्वारा विभिन्न याचिकाओं में पारित आदेशों के दृष्टिगत उपरवर्णित परिपत्र पर पुनर्विचार कर एतद् द्वारा निम्नानुसार संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं -

2.1 राज्य शासन के 30 जून को सेवानिवृत्त हुए अथवा होने वाले शासकीय सेवकों को उनकी शासकीय सेवा अवधि में नियत वार्षिक वेतनवृद्धि दिनांक 01 जुलाई निर्धारित होने पर पेंशन की गणना के लिये 01 जुलाई की स्थिति में तथा 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त हुए अथवा होने वाले शासकीय सेवकों को उनकी शासकीय सेवा अवधि में नियत वार्षिक वेतनवृद्धि दिनांक 01 जनवरी

2

निर्धारित होने से पेंशन की गणना के लिये 01 जनवरी की स्थिति में एक काल्पनिक (Notional) वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृत की जाये।

2.2 शासकीय सेवकों की सेवा अवधि में नियत पात्रता दिनांक 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई (जैसी स्थिति हो) की काल्पनिक वार्षिक वेतनवृद्धि की स्वीकृति के आधार पर सिर्फ पेंशन का निर्धारण / पुनरीक्षण से संबंधित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। काल्पनिक वार्षिक वेतनवृद्धि पेंशन के अतिरिक्त अन्य सेवानिवृत्ति लाभों यथा उपदान एवं अवकाश नगदीकरण आदि की पुनर्गणना में मान्य नहीं होगी।

2.3 काल्पनिक वेतनवृद्धि के फलस्वरूप बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिनांक 01.05.2023 को या उसके बाद की तिथि से ही प्रभावशील होगा। दिनांक 30.04.2023 से पहले की अवधि के लिये बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जायेगा।

2.4 जिन व्यक्तियों द्वारा न्यायालयों में रिट याचिकायें दायर की हैं तथा सफल हुये हैं, उनके संबंध में पूर्व न्यायालयीन निर्णय के दृष्टिगत (Res judicata) ही कार्यवाही की जाये।

2.5 न्यायालयीन आदेशों के अनुक्रम में वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 15 मार्च, 2024 के आधार पर प्रशासकीय विभाग द्वारा दी गयी स्वीकृति को यथा स्थिति मान्य किया जाता है।

2.6 पेंशन के निर्धारण / पुनरीक्षण से संबंधित उपरोक्तानुसार कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका में पारित निर्णय के अध्याधीन होगी।

3/ यह परिपत्र, मंत्रि-परिषद के आदेश आयटम क्रमांक 02 दिनांक 12 नवम्बर, 2024 के अनुक्रम में जारी की जा रही है।

4/ उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही हेतु अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने हेतु अनुरोध है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(पी.के. श्रीवास्तव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग